फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री शंकरसिंह पिता उदयसिंह राजपुत निवासी तलाबों की भागल, खमनोर जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

श्री हिम्मतसिंह उर्फ हरिसिंह पिता नाहर सिंह राजपुत निवासी मादरेचों का गुड़ा,भैसाकमेंड़ तहसील खमनोर वगैराह

— रेस्पोण्डेंट

मुकदमा— नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या** 15/2018

क्र	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.02.2019 वकु. पक्षकार उपस्थित। अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 31.01.2019 को आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार खमनोर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण को निरस्त कर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण खोले जाने के आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खमनोर द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान में उक्त अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया गया जिसे विवादित होना बताते हुए अस्वीकृत किया गया है। राजस्व लोक अदालत की मंशानुसार पक्षकारान के समझौते एवं शीघ्र सुलभ न्याय अनुरूप यह आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उक्त आदेश को पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 18.06.2018 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की प्रकरण में संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर राजसमन्द	

कार्यालय जिला कलक्टर ... (राज.)